फर्द अहकाम

जगदीश v/s बनाम सत्यनारायण वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या 65/2016 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17-8-17	वकील उभयपक्ष उपस्थित। संयोधित टाईटल व तल्बी पेश करने को अवसर चाहा वास्ते संयोधित टाईटल व तल्बी प्रति० दिनांक 8-9-17 को पेश होवे। उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	8-9-17	वकील उभयपक्ष अप० P.O.सा० दौरे मे पधारे हैं गत आदेश की पालना मे दिनांक 13/10/17 को पेश हो। प्रस्तुतकर्ता उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	
	13/10/17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नही हुए वकील प्रतिवादी उपस्थित हुए। वकील प्रतिवादी गण को सुना गया। वकील प्रतिवादी का निवेदन रहा कि पूर्व प्रकरण मे दिनांक 03/8/16 से तल्बी प्रतिवादी पेश नही की गयी है अतः प्रकरण 09 R 5 के आधार पर खारिज फरमाया जावे हमने बहस सुनी व पत्र प्रा० फा० 09 R 5 के तहत खारिज किया जाकर दीवानी दायर किया गया माना जाकर निस्तारित कर होवे। 13/10/17 (हिरजी लाल) उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)	